



2026:AHC:129661

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 21580 वर्ष 2026

आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

विनय कुमार सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 96 वर्ष 2026, धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi) एवं 3(1), उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमे में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को केवल एकमात्र आधार वाद, अर्थात वाद अपराध संख्या 0032 वर्ष 2026 के आधार पर अवैध रूप से गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त बनाया गया है। विवेचना अधिकारी द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गए आरोपों की पुष्टि हेतु कोई सामग्री संकलित नहीं की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक न तो किसी गिराह का सदस्य है और न ही वह किसी गिराह का संचालन करता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश गिराहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख) एवं 2(ग) में परिभाषित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि शेष तीन सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वाद अपराध संख्या 32 वर्ष 2026 में दिनांक 19 मार्च, 2026 को सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश के माध्यम से पूर्व में ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 21.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।
6. अपराध की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय विचारित मत का है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आधार स्थापित कर दिया है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक-**आलोक कुमार सिंह उर्फ विपिन सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध का, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है, न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए वाद नियत होगा और गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप

से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बिना वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अन्तर्गत उद्धोषणा जारी की जा सकती है तथा यदि वह उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अन्तर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के उद्घाटन के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के अन्तर्गत उसका कथन अभिलिखित किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 29 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।